क्रम-संख्या–386

रजिस्टर्ड नं. ए. डी.-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 25 अगस्त, 1980

भाद्रपद 3, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग

संख्या 3197/तीस-3-114 जोई-77

लखनऊ, 23 अगस्त, 1980

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0--300

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980

भाग एक–सामान्य

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 कही जायगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह "ख" और "ग" के पद सम्मिलित हैं। सेवा की प्रास्थिति

परिभाषा

3—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त से है ;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमाव या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन नौलिख नियुक्त और सेवारत व्यक्ति से है ;

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा से है ;

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग दो—संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, परिशिष्ट "क" में दी गई

परन्तु :

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्य उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत (1) यात्रीकर/मालकर अधिकारी

5—सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी :—

(एक) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

(दो) आयोग के माध्यम से निम्नलिखित में से पदोन्नति द्वारा :

(क) ऐसे स्थायी कर अधीक्षक/यात्रीकर/मालकर अधीक्षक, जिन्होंने उस में कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो ;

(ख) ऐसे स्थायी सहायक सरकारी अभियोक्ताओं में से जिन्होंने उस रू कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो ; और

(ग) परिवहन आयुक्त के कार्यालय के ऐसे स्थायी प्रधान सहायकों, प्र लिपिकों में से जिन्होंने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की लग सेवा पूरी कर ली हो :

परन्तु भर्ती प्रयोगात्मक इस प्रकार की जायगी कि संवर्ग के 50 प्रतिशत पद तीन भर्ती कि व्यक्तियों द्वारा और शेष पद पदोन्नति किये गये व्यक्तियों द्वारा निम्न प्रकार भृत किये जायं :-

(क) कर अधीक्षक/मालकर अधीक्षक .. .. 40 प्र

(ख) सहायक सरकारी अभियोक्ता .. .. 5 प्र

(ग) परिवहन आयुक्त के कार्यालय में प्रधान सहायक/प्रधान लिपिक 5 प्र

(2) कर अधीक्षक—लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्थायी यात्रीकर/मालकर अधी में से पदोन्नति द्वारा ।

(3) यात्रीकर/माल कर अधीक्षक —

(एक) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

(दो) आयोग के माध्यम से निम्नलिखित में से पदोन्नति द्वारा :

(क) परिवहन आयुक्त के कार्यालय के ऐसे स्थायी अनुभाग प्रभारी, उपले प्रालेखक और आशुलेखकों में से जिन्होंने उस रूप में कम से कम पांच व लगातार सेवा पूरी कर ली हो ; और

(ख) संभागीय परिवहन कार्यालयों के ऐसे स्थायी प्रधान लिपिकों, प्रधान लिपिक एवं लेखाकार और आशुलेखकों में से जिन्होंने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो :

परन्तु भर्ती यथासम्भव इस प्रकार की जायगी कि संवर्ग में 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और शेष पदोन्नति किये गये व्यक्तियों द्वारा निम्न प्रकार से पूरे किये जायं :

(क)	अनुभाग प्रभारी और उप लेखक-प्रलेखक	15 प्रतिशत
(ख)	परिवहन आयुक्त के कार्यालय के आशुलेखक	7 प्रतिशत
(ग)	प्रधान लिपिक और प्रधान लिपिक एवं लेखाकार	14 प्रतिशत
(घ)	संभागीय कार्यालयों के आशुलेखक	14 प्रतिशत

आरक्षण

6—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग चार—अर्हतायें

राष्ट्रिकता

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में तभी रहने दिया जायगा यदि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

8—सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई उपाधि होनी चाहिए और यह भी आवश्यक है कि वह देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो।

अधिमानी अर्हताएं

9—ऐसे अभ्यर्थी को जिसने—

(एक) दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक प्रादेशिक सेना में सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा।

आयु

10—भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11--सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी:--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12--सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व उससे--

(क) सेवा में किसी राजपत्रित पद की दशा में चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी, और

(ख) सेवा में अन्य पदों की दशा में फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग पांच--भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14--नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उनकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15--(1) आयोग प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित करेगा, जो आयोग के सचिव से भुगतान किये जाने पर प्राप्त किया जा सकता है।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित होने नहीं दिया जायगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और उसे सारिणीबद्ध करने के पश्चात् नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, साक्षात्कार के लिये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उस के द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का कुल योग बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या अधिक होगी किन्तु रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी:--प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्य-विवरण और नियम ऐसे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से विहित किये जायं।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16—पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी।

संयुक्त चयन सूची

17—यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम बारी-बारी से नियम 15 और नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से लिये जायेंगे, पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से लिया जायगा :

परन्तु इस नियम के अधीन संयुक्त चयन सूची तैयार करने में पदोन्नति के लिये चयन किये गये व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित क्रम में रखे जायेंगे :—

(एक) यात्रीकर अधिकारी/माल कर अधिकारी के पद के लिये—

(क) प्रधान सहायक/प्रधान लिपिक को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित उनकी परस्पर ज्येष्ठता के क्रम में।

(ख) कर अवीक्षक।

(ग) यात्रीकर अधीक्षक, माल कर अधीक्षक और सहायक सरकारी अभियोक्ताओं को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथाअवधारित ज्येष्ठता के क्रम में।

(दो) यात्रीकर अधीक्षक और मालकर अधीक्षक के पदों के लिये—

(क) परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अनुभाग प्रभारी और आशुलेखकों को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में।

(ख) उच्चलेखक प्रालेखक, प्रधान लिपिक और प्रधान लिपिक एवं लेखाकार को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में, और

(ग) संभागीय कार्यालयों के आशुलेखकों को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18—(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से इस शर्त पर नियुक्तियां कर सकता है कि ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो, की जायगी।

परिवीक्षा

19—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा विनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु अपवादित परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष की सीमा से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, या जिसकी सेवायें समाप्त की जांय, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि में संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि--

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(ख) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और विहित प्रशिक्षण यदि कोई हो, सफलतापूर्वक कर लिया हो,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21--सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जायं, तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु--

(एक) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाय, और

(दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।

टिप्पणी--(1) जहां नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय जिससे किसी व्यक्ति की किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति या किसी स्थायी पद पर परिवीक्षा पर मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो, वहां उस दिनांक को मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो, वहां उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारण के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की विधिमान्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग सात--वेतन इत्यादि

वेतनमान

22--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :--

पद का नाम	वेतन मान
(एक) यात्रीकर/मालकर अधिकारी ..	450-25-575-द0 रो0-30-725-द0 रो0-35-900-50-950 रु0।
(दो) कर अधीक्षक ..	400-15-475-द0 रो0-20-575-द0 रो0-25-750 रु0।
(तीन) यात्रीकर/मालकर अधीक्षक ..	350-15-500-द0 रो0-20-600 द0 रो0 25 700 रु0।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23-(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुये भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय-मान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि को गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत् सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड

24--किसी व्यक्ति को--

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी तब तक कि यह न पाया जाय कि उसने निरन्तर अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया है, उसका आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ--अन्य उपबंध

पक्ष समर्थन

25--किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह करा देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26--ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के संबंध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27--जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम, के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह उस मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु यदि नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो तो उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

28--इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनकी व्यवस्था सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
प्रकाश चन्द्र सक्सेना,
सचिव।

परिशिष्ट 'क'

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या : स्थायी	अस्थायी
1	यात्रीकर अधिकारी/मालकर अधिकारी	26	..
2	कर अधीक्षक	5	..
3	यात्रीकर अधीक्षक/माल कर अधीक्षक	54	52